

FORM NO.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 28)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मोहम्मद खिजर खां बनाम शिपरतन

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 286/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / क्षीमती <u>मोहम्मद खिजर खां</u></p> <p>पिता श्री <u>मोहम्मद शफर खां</u></p> <p>निवासी <u>गोधिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सुरजेपोल</u> <u>प.ट. सिकरपुरा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>784, 785, 786, 787, 788, 618, 619, 620, 790, 791, 824, 826, 827, 829, 830, 831, 834</u></p> <p>कुल कीता <u>5+12=17</u> कुल रकबा <u>2.7</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरजेपोल</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>784, 785, 786, 787, 788, 618, 619, 620, 790, 791, 824, 826, 827, 829, 830, 831, 834</u></p> <p>कुल कीता <u>5+12=17</u> रकबा <u>2.7</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>51 ए जार 512</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवस) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>